(30)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1022] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 2004/अग्रहायण 10, 1926
No. 1022] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004/AGRAHAYANA 10, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2004

आय-कर

का.आ. 1316(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (सतरहवाँ संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में,-

(क) नियम 114ख में,—

(अ) "या साधारण इन्डैक्स रजिस्टर संख्या" शब्दों का, जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा ;

(आ) खंड (ट), के स्पष्टीकरण के पश्चात् , निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(ठ) कोई बैंककारी कंपनी जिस पर बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है, (जिसके अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) या कोई अन्य कंपनी या संस्था, कोई क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कोई आवेदन करती है ;

(ड) किसी पारस्परिक निधि को उसकी यूनिट का क्रय करने के लिए पचास हजार रूपए या अधिक का संदाय ;

(ढ) किसी कंपनी को उसके द्वारा जारी शेयरों के अर्जन करने के लिए पचास हजार रूपए या अधिक की रकम का संदाय ;

(ण) किसी कंपनी या संस्था को उसके द्वारा जारी डिबेंचर या बंध पत्र के अर्जन करने के लिए पचास हजार रूपए या उससे अधिक की रकम का संदाय ;

(त) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक को, उसके द्वारा जारी बंध पत्र के अर्जन के लिए पचास हजार रूपए या उससे अधिक की रकम का भुगतान ";

(इ) पहले परंतुक, दूसरे परंतुक और तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु जहां कोई व्यक्ति, इस नियम के खंड (ग) और खंड (च) में निर्दिष्ट किसी खाते को खोलने के लिए कोई आवेदन करता है, अवयस्क है और जिसकी आयकर से प्रभार्य कोई आय नहीं है वहां वह, उक्त खंड (ग) और खंड (च) में निर्दिष्ट संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में यथास्थिति अपने पिता या माता की स्थायी लेखा संख्यांक कोट करेगा ;

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति जिसके पास स्थायी लेखा संख्यांक नहीं है और जो इस नियम में विनिर्दिष्ट किसी संव्यवहार में भाग लेता है, प्ररूप सं. 60 में ऐसे संव्यवहार की विशिष्टियां देते हुए घोषणा करेगा" ;

(ख) नियम 114 ग में,-

(अ) उपनियम (1) के खंड (क) के परंतुक में " में खंड (क) से खंड (ट)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

(आ) **उपनियम (2) में,-**

(i) खंड (ग) में "नियम 114 ख के खंड (ग) या खंड (झ) या खंड (ञ)" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, नियम "114 ख के खंड (ग) या खंड (झ) या खंड (ञ) या खंड (ठ)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(झ) नियम 114 ख के खंड (ठ) या खंड (ढ) या खंड (ण) में निर्दिष्ट कंपनी का प्रधान अधिकारी ;

(ञ) नियम 114ख के खंड (ठ) या खंड (ण) में निर्दिष्ट किसी संस्था का प्रधान अधिकारी ;

(ट) नियम 114 ख के खंड (ड) में निर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि के न्यासी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई न्यासी या कोई अन्य व्यक्ति ;

(ठ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी ;

(iii) "जिसने नियम 114ख से प्रारंभ होने वाले" और "कोट किया गया है" शब्दों से समाप्त होने वाले पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,-

"जिसने नियम 114ख में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त किया है, सत्यापन के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें स्थायी लेखा संख्यांक सम्यक् रूप से और सही ढंग से कोट किया गया है ।"

(ग) नियम 114 घ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

समय और रीति, जिसमें नियम 114ग के उपनियम (2) में, निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्ररूप सं.60 और प्ररूप सं.61 की प्रतियों को दिया जाना ।

114घ (1) नियम 114ग के उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति जिस क्षेत्र में संव्यवहार करता है, की अधिकारिता रखने वाले आयकर आयुक्त (केन्द्रीय सूचना शाखा) को निम्नलिखित दस्तावेज भेजेगा, अर्थात् :-

(क) नियम 114 ख के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट प्ररूप सं.60 में की गई घोषणा की प्रतियां ;

(ख) नियम 114 ग के उपनियम (1) के खंड (क) के परंतुक में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 61 में घोषणा की प्रतियां ;

परंतु नियम 114 ख के खंड (च) में निर्दिष्ट संव्यवहारों की बाबत में दी गई घोषणाओं की प्रतियां नहीं भेजी जाएंगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 60 और प्ररूप सं. 61 में घोषणा की प्रतियां आयकर आयुक्त (केन्द्रीय सूचना शाखा) को 30 सितम्बर तक प्राप्त प्ररूपों को उस वर्ष में सबसे पश्चात् 31 अक्टूबर तक भेजी जाएंगी और 31 मार्च तक प्राप्त प्ररूपों को उस वर्ष के 30 अप्रैल तक भेजी जाएगी ।

वार्षिक सूचना विवरणी को दिया जाना ।

114ङ (1) धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित वार्षिक सूचना विवरणी प्ररूप सं. 65 में दी जाएगी और उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित को जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी में सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उक्त सारणी के स्तंभ (3) में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सभी प्रकृति और मूल्य के संव्यवहारों के संबंध में दी जाएगी, जिसमें किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने या 1 अप्रैल, 2004 के पश्चात् उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित किए गए हो :-

सारणी

क्रम सं. (1)	व्यक्तियों के वर्ग (2)	संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्य (3)
1	कोई बैंककारी कंपनी जिसपर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है ।)	उस बैंक में किसी व्यक्ति के द्वारा रखे जाने वाले किसी बचत खाते में एक वर्ष में लगभग दस लाख या उससे अधिक नकद जमा किया हो ।
2	कोई बैंककारी कंपनी जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके उक्त अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) या कोई अन्य कंपनी या संस्था जो क्रेडिट कार्ड जारी करती है ।	उस व्यक्ति को जारी किसी क्रेडिट कार्ड की बाबत दिए गए बिल में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय, वर्ष में लगभग दो लाख रूपए या उससे अधिक ।
3	किसी पारस्परिक निधि का न्यासी या ऐसा अन्य व्यक्ति जो इस निमित्त न्यासी द्वारा सम्यक रूप में पारस्परिक निधि के कार्यों का प्रबंध करने के लिए प्राधिकृत हो ।	किसी व्यक्ति से उस निधि की यूनिटों के अर्जन के लिए दो लाख रूपए या उससे अधिक की रकम की प्राप्ति ।

4	बंध पत्र या डिबेंचर जारी करने वाली कोई कंपनी या संस्था ।	किसी व्यक्ति द्वारा किसी कंपनी या संस्था द्वारा जारी बंध पत्र या डिबेंचर के अर्जन के लिए पांच लाख रूपए या अधिक की रकम की प्राप्ति ।
5	सार्वजनिक या अधिकार निर्गम के द्वारा शेयर जारी करने वाली कोई कंपनी ।	कंपनी द्वारा जारी अंशों के अर्जन के लिए एक लाख रूपए या उससे अधिक की किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त रकम ।
6	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ।	किसी व्यक्ति द्वारा स्थावर संपति जिसका मूल्य तीस लाख रूपए या उससे अधिक है, का क्रय या विक्रय ।
7	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति जो इस निमित्त भारतीय रिजर्व बैंक सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो ।	किसी व्यक्ति से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक वर्ष के लिए जारी बंध पत्र जिनकी लगभग रकम पांच लाख रूपए या उससे अधिक है रकम की प्राप्ति ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी आयकर आयुक्त (केन्द्रीय सूचना शाखा) को भेजी जाएगी :

परंतु जहां बोर्ड ने किसी अधिकरण को आयकर आयुक्त (केन्द्रीय सूचना शाखा) की ओर से ऐसी विवरणी को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया है, ऐसी विवरणी उस अधिकरण को भेजी जाएगी ।

(4) (क) विवरणी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं0 65 के भाग क और भाग ख में समाविष्ट हों, कम्प्यूटर में पढ़े जाने योग्य माध्यमों फ्लापी (3.5 इंच और 1.44 एमबी धारिता) या सी डी रोम (650 एमवी या उच्च धारिता) या डिजिटल वीडियो डिश (डीवीडी) के साथ, कागज पर दी जाएगी ।

(ख) विवरणी को देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि -

(i) ' यदि विवरणी या कथन से संबंधित डाटा की प्रतियों में उपयोग किए गए डाटा के संक्षिप्तिकरण या प्रयोग किए गए साफ्टवेयर के बैकअप में है तो तत्संबंधी साफ्टवेयर की उपयोगिता या उसके विसंक्षिप्तिकरण करने या पुनर्स्थापन के लिए प्रकिया विवरणी या कथनों के कम्प्यूटर माध्यम के साथ भी दी जाए ;

(ii) विवरणी के साथ इस संबंध में एक प्रमाण पत्र होगा कि यह डाटा साफ और वायरस से मुक्त है ।

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी उस वित्तीय वर्ष, जिसमें वह संव्यवहार रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित किया गया है, के तत्काल पश्चात, 31 अगस्त को या उससे पूर्व दी जाएगी ।

(6) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी,-

(क) जहां व्यक्ति अधिनियम की धारा 2 के खंड (7) में यथा परिभाषित किसी निर्धारिती के विवरण देता है, के मामले में, अधिनियम की धारा 140 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति ;

(ख) किसी अन्य मामले में, उपनियम (2) के नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति,

द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी ;

(घ) परिशिष्ट -2 में,

(अ) विवरणी प्ररूप सं. 60 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. 60

(नियम 114 ख का दूसरा परंतुक देखिए)

नियम 114 ख में विनिर्दिष्ट जो कोई संव्यवहार करता है और उसका स्थायी लेखा संख्यांक नहीं है उस व्यक्ति द्वारा भरे जाने वाले घोषणा पत्र का प्ररूप

1. घोषणाकर्ता का पूरा नाम और पता..

....
....

2. संव्यवहार के विवरण

3. संव्यवहार की रकम

4. क्या आप कर निर्धारिती हैं ? हां/नहीं

5. यदि हां,

(i) वार्ड/सर्कल/रेंज जहां आय की अंतिम विवरणी फाइल की गई है के ब्यौरे ?

(ii) स्थायी लेखा संख्यांक न होने के लिए कारण

---

6. स्तंभ (1) में पते के समर्थन में दिए जाने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे

सत्यापन

मैं,..., यह घोषणा करता हूं कि उपयुक्त किए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही हैं ।

यह सत्यापन आज तारीख..................कों किया है ।

तारीखः ....

स्थानः ....

____

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

अनुदेश : पते के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज दिए जा सकते हैं :-

(क) राशन कार्ड

(ख) पासपोर्ट

(ग) चालन अनुज्ञप्ति

(घ) किसी संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र

(ङ) निवास का पता प्रस्तुत करने वाला बिजली की बिल या टेलीफोन बिल की प्रति

(च) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा या स्थानीय निकाय द्वारा निवास पते को दर्शित करने वाला जारी कोई दस्तावेज या पत्र व्यवहार

(छ) कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जो घोषणा में दिए गए है उसके पते के समर्थन में है ।

(आ) प्ररूप सं0 61 के शीर्ष में, " नियम 114 के खंड क से खंड च" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर " नियम 114 ख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(इ) प्ररूप सं. 64 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-

प्ररूप 65

(आय-कर नियम, 1962 का नियम 114ङ देखिए)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक के अधीन वार्षिक सूचना विवरणी

(भाग - क)

*कृपया अनुदेशों को देखें और सुसंगत स्तंभों को भरें

1. व्यक्ति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

(कृपया दो शब्दों के बीच एक खाना रिक्त छोड़ें)

2. व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) (अनुदेश देखें)

3. व्यक्ति का फोलियों संख्यांक (अनुदेश देखें)

4. पता (स्पष्ट अक्षरों में) (कृपया दो शब्दों के बीच एक खाना रिक्त छोड़ें)

3.1 फ्लैट सं0......................3.2 मकान/परिसर सं0...........3.3 तल सं0.......... 3.4 भवन का नाम...................3.5 ब्लॉक/सेक्टर..............

3.6 सड़क/गली..............................3.7 अवस्थान/कालोनी..................................

3.8 नगर.............................3.9 राज्य कोड (अनुदेशों में राज्य बोर्ड का निर्देश है).........3.10 पिनकोड..............

5. प्रास्थिति.....(व्यष्टि-आई, कंपनी-सी, फर्म-एफ, एचयूएफ-एच, सरकारी कार्यालय-जी, बैंक-बी, अन्य -ओ)

6. वित्तीय वर्ष (वह संव्यवहार जिसके संबंध में रिपोर्ट किया गया है)....................

7. अधिकारिता वाले आय-कर आयुक्त का पता (केन्द्रीय सूचना शाखा)...

8. वार्षिक सूचना विवरणी (भाग ख) में रिपोर्ट किए गए संव्यवहारों की कुल संख्या..................

9. वार्षिक सूचना विवरणी (भाग ख) में रिपोर्ट किए गए संव्यवहारों का कुल मूल्य रु0..................

10. वार्षिक सूचना विवरणी का माध्यम (जो लागू न हो उसे काट दें) - सीडी/फ्लापी/डीवीडी

सत्यापन

मैं,........................(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री..............................सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस विवरणी के भाग क और भाग ख में दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से ही और पूर्ण हैं । मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं इस विवरणी को अपनी...की हैसियत के रूप में दे रहा हूं/रही हूं और मैं इस विवरणी को देने में सक्षम भी हूं और इसे सत्यापित करता हूं/करती हूं ।

तारीख.................

स्थान.................

हस्ताक्षर..............................

नाम..................................

(कार्यालय के प्रयोग के लिए)

पावती सं0 : ....

तारीख : ....

वार्षिक सूचना विवरणी प्राप्त करने वाले
व्यक्ति का नाम तथा हस्ताक्षर (मुहर सहित) : ....

(भाग - ख)

1. व्यक्ति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

   (कृपया दो शब्दों के बीच एक खाना रिक्त छोड़ें)

2. व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) (अनुदेश देखें)

3. व्यक्ति का फोलियों संख्यांक (अनुदेश देखें)

4. पता (स्पष्ट अक्षरों में) (कृपया दो शब्दों के बीच एक खाना रिक्त छोड़ें)

   2.1 फ्लैट सं0......................2.2 मकान/परिसर सं0...........2.3 तल सं0.......... 2.4 भवन का नाम..................2.5 ब्लॉक/सेक्टर..............

   2.6 सड़क/गली...............................2.7 अवस्थान/कालोनी...................................

   2.8 नगर.............................2.9 राज्य कोड (अनुदेशों में राज्य बोर्ड का निर्देश है)..........2.10 पिनकोड..............

5. प्रास्थिति.....(व्यष्टि-आई, कंपनी-सी, फर्म-एफ, एचयूएफ-एच, सरकारी कार्यालय-जी, बैंक-बी, अन्य -ओ)

6. वित्तीय वर्ष (वह संव्यवहार जिसके संबंध में रिपोर्ट किया गया है)....................

7. वार्षिक सूचना विवरणी (भाग ख) में रिपोर्ट किए गए संव्यवहारों की कुल संख्या..................

8. वार्षिक सूचना में रिपोर्ट किए गए संव्यवहारों का कुल मूल्य (रुपयों में)..................

356 GI-2004-2

(भाग - ख)

1. व्यक्ति का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

(कृपया दो शब्दों के बीच एक खाना रिक्त छोड़ें)

2. व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) (अनुदेश देखें)

3. व्यक्ति का फोलियों संख्यांक (अनुदेश देखें)

4. पता (स्पष्ट अक्षरों में) (कृपया दो शब्दों के बीच एक खाना रिक्त छोड़ें)

2.1 फ्लैट सं0......................2.2 मकान/परिसर सं0............2.3 तल सं0........... 2.4 भवन का नाम..................2.5 ब्लॉक/सेक्टर..............

2.6 सड़क/गली...............................2.7 अवस्थान/कालोनी..................................

2.8 नगर.............................2.9 राज्य कोड (अनुदेशों में राज्य बोर्ड का निर्देश है)..........2.10 पिनकोड..............

5. प्रास्थिति.....(व्यष्टि-आई, कंपनी-सी, फर्म-एफ, एचयूएफ-एच, सरकारी कार्यालय-जी, बैंक-बी, अन्य -ओ)

6. वित्तीय वर्ष (वह संव्यवहार जिसके संबंध में रिपोर्ट किया गया है)....................

7. वार्षिक सूचना विवरणी (भाग ख) में रिपोर्ट किए गए संव्यवहारों की कुल संख्या..................

8. वार्षिक सूचना में रिपोर्ट किए गए संव्यवहारों का कुल मूल्य (रुपयों में)..................

सत्यापन

मैं,........................(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री..............................सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस विवरणी के भाग क और भाग ख में दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से ही और पूर्ण हैं । मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं इस विवरणी को अपनी.......................................की हैसियत के रूप में दे रहा हूं/रही हूं और मैं इस विवरणी को देने में सक्षम भी हूं और इसे सत्यापित करता हूं/करती हूं ।

तारीख.................

स्थान..................

हस्ताक्षर..............................

नाम...................................

(कार्यालय के प्रयोग के लिए)

पावती सं0 : ....
तारीख : ....
वार्षिक सूचना विवरणी प्राप्त करने वाले
व्यक्ति का नाम तथा हस्ताक्षर (मुहर सहित) : ....

9. संव्यवहारों के ब्यौरे :

क्र. सं.	संव्यवहार की तारीख (तारीख-मास-वर्ष)	संव्यवहार करने वाले पक्षकार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) 1. प्रथम नाम 2. मध्य नाम 3. उप नाम (गैर वैयक्तिक की दशा में, पूरा नाम लिखा जाए । दो शब्दों के मध्य एक खाना रिक्त छोड़े)	संव्यवहार करने वाले पक्षकार का पैन (जहां पैन उपलब्ध न हो वहां कृपया कंपनी के लिए सी और गैर कंपनी के लिए एनसी निर्दिष्ट करें)	पूरा पता (स्पष्ट शब्दों में । दो शब्दों के बीच एक खाना रिक्त छोड़ें) 1. फ्लैट सं0 ; 2. मकान/परिसर सं0 ; 3. तल सं0 ; 4. बिल्डिंग का नाम ; 5. ब्लॉक/सेक्टर ; 6. सड़क/गली; 7. अवस्थान/कालोनी ; 8. शहर ; 9. राज्य कोड ; 10. पिन (अनुदेशों में राज्य कोड निदेश करें)	संव्यवहारों का प्रकार (नकद-सी, चेक-क्यू, कार्ड-आर, मांग ड्राफ्ट-डी, अन्य-ओ)	रकम रुपए में (रुपए से निकटतम)	संव्यवहार का कोड	व्यक्ति, जो (वार्षिक सूचना विवरणी को देने के लिए उत्तरदायी है) के कार्यालय/शाखा का पता जहां संव्यवहार किया गया है
	....-.....-	1................................ 2................................ 3................................	....	1............ 2.............. 3.............. 4... 5...... 6.. 7... 8... 9............ 10....................................	.....	....	....	

वार्षिक सूचना विवरणी फाइल करने के लिए अनुदेश

(i) यह विवरणी को (भाग-क और भाग-ख) एक फ्लॉपी (3.5 इंच और 1.44एमबी) या सीडी-रोम (650एमबी या उच्च् क्षमता) या डिजीटल वीडियों डिस में कम्पयूटर पठनीय मीडिया पर भाग-क सहित कागज पर प्रस्तुत किया जाए ।

(ii) यदि विवरणी संपीडक फारमेट में फाइल की जाती है तो उसे विनजिप 8.1 या जिपलेटफास्ट 3.0 संपीडक उपयोगिता का उपयोग करते हुए संपीडित किया जाना चाहिए ।

(iii) विवरणी को एक सीडी/फ्लॉपी/डीवीड़ी में फाइल किया जाना चाहिए और बहु फ्लॉपियों/ सीडियों/डीवीडीयों में नहीं बढ़ाया जाना चाहिए ।

(iv) विवरणी के साथ स्वच्छ और वायरस मुक्त डाटा से संबंधित प्रमाण पत्र होगा ।

2. कृपया प्रा., लि., इत्यादि जैसे किसी संक्षेपाक्षर का उपयोग न करें ।

3. पैन को मद संख्या 2 (भाग-क) और मद सं.2 (भाग-ख) में निम्नलिखित द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है-

(i) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ;

(ii) कोई व्यक्ति, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है, जिसे बंध पत्र को जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया है ;

4. पहली बार के लिए वार्षिक सूचना विवरणी फाइल करने के पश्चात् एक रेंडम कम्प्यूटर जनित्र संख्यांक (फोलियों संख्यांक) आवंटित की जाएगी । इस संख्यांक को पश्चातवर्ती वर्षों के लिए विवरणी के मद सं. 3 (भाग-क) और मद सं.3 (भाग-ख) में उद्धत्त किया जाएगा ।

5. राज्य कोड

कोड	राज्य के नाम	कोड	राज्य का नाम
01.	अंडमान और निकोबार समूह	19.	महाराष्ट्र
02.	आंध्र प्रदेश	20.	मणिपुर
03.	अरूणाचल प्रदेश	21.	मेघालय
04.	असम	22.	मिजोरम
05.	बिहार	23.	नागालैंड
06.	चंडीगढ़	24.	उड़ीसा
07.	दादर और नागर हवेली	25.	पांडिचेरी
08.	दमण और दीव	26.	पंजाब
09.	दिल्ली	27.	राजस्थान
10.	गोवा	28.	सिक्किम
11.	गुजरात	29.	तमिलनाडू
12.	हरियाणा	30.	त्रिपुरा
13.	हिमाचल प्रदेश	31.	उत्तर प्रदेश
14.	जम्मू-कश्मीर	32.	पश्चिमी बंगाल
15.	कर्नाटक	33.	छत्तीसगढ़
16.	केरल	34.	उत्तरांचल
17.	लक्षद्वीप	35.	झारखंड
18.	मध्यप्रदेश		

6 रिपार्ट किए जाने वाले संव्यवहारों की बाबत कोड

क्रम सं.	संव्यवहार	संव्यवहार कोड
1.	एक वर्ष में किसी व्यक्ति के द्वारा रखे जाने वाले किसी बचत खाते में एक वर्ष में दस लाख रूपए या अधिक के नकद जमा जिसे बैंककारी कंपनी द्वारा रखा जाता है तथा जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होते हैं (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था सम्मिलित है ।)	001
2.	क्रेडिट कार्ड की बाबत लिए गए बिल के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किया गया संदाय को एक वर्ष में दो लाख रूपए या अधिक ।	002
3.	किसी व्यक्ति से पारस्परिक निधि की यूनिटों के क्रय के लिए दो लाख रूपए या अधिक की प्राप्ति रकम	003
4.	किसी व्यक्ति से किसी कंपनी या संस्था द्वारा जारी बंध पत्रों या डिबेंचरों की अर्जन के लिए पांच लाख रूपए या अधिक की रकम की प्राप्ति	004
5.	किसी व्यक्ति से कंपनी द्वारा जारी शेयर प्राप्त करने के लिए एक लाख रू. या अधिक रकम की प्राप्ति	005
6.	किसी व्यक्ति द्वारा तीस लाख रूपए या अधिक की स्थावर सम्पत्ति की खरीद ।	006
7.	किसी व्यक्ति द्वारा तीस लाख रूपए या अधिक की स्थावर सम्पत्ति का विक्रय ।	007
8.	किसी व्यक्ति से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बंध पत्रों में विनिधान के लिए एक वर्ष में पांच लाख रूपए या अधिक रकम की प्राप्ति	008

[अधिसूचना सं. 288/2004/फा. सं. 142/44/2003-टीपीएल]

शरत चंद्र, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969, तारीख 26 मार्च, 1962, जो समय-समय पर संशोधित की गई है, प्रकाशित किए गए थे और ऐसा संशोधन अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 1310(अ), तारीख 30-11-2004 द्वारा किया गया था।